


व्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर



रीवा म०प्र०

₹ 10/-

३८
१८७४

Q 2558-II/14

राजमणि गौतम तनय् राधिका प्रसाद गौतम आयु 75 वर्ष
निवासी डांडीटेला प्रतापपुर तहसील बिरसिहपुर जिला सतना
म०प्र०.....कुक्कुटा.....मुख्यतः सारु. हवाव. सतना. कुक्कुटा. गौतम.....अपीलार्थी

बनाम

गोकरण प्रसाद तनय् दद्दी राम ब्राम्हण आयु 65 वर्ष निवासी

प्रतापपुर तहसील बिरसिहपुर जिला सतना म०प्र०.....रेस्पा०

अपील विलङ्घ आदेश अपर आयुक्त रीवा

संभाग रीवा के अपील प्र०क०- 555

/अपील/10-11 मे पारित आदेश दिनांक

22/01/13

अपील अन्तर्गत धारा 44 म०प्र०भ०रा०स०

श्री सम्मिलित कार्गी नमस्तुता
धारा आज २५-१०-७८ के
प्रस्तुत किया गया।

डॉर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक २३९०

जिसका स्वेच्छा आग आज
दिनांक २५-७-८ को प्राप्त
मान्यवर,

राजस्व मान्यवर ना. ग्वालियर. अपीलार्थी निम्नलिखित अपील प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने विचारण व्यायालय तहसीलदार बिरसिहपुर जिला सतना के समक्ष आराजी नं०-९१/१ रकवा ०.७६ए० यानी ०.३०८ह० वाका मौजा झाला तहसील बिरसिहपुर जिला सतना के संबंध मे नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और जाहिर किया कि विवादित आराजी के खातेदार अनावेदक/रेस्पा० है जिन्होने अपने वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये उक्त आराजी को आवेदक/अपीलार्थी के पक्ष मे दिनांक १८/०३/७३ को मुबलिंग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुबृति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक 4-2558-टी।।५

जिला-लैला

पक्षकार का नाम राजभगवत्ता / गोकरण पृष्ठा

(1)	(2)	(3)
28.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2—आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3— आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	